न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिनेश कुमार गढवाल, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 37/2022 (सी.आई.एस.नं.37/2022)

राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक सागवाडा, जिला डूंगरपुर, राज.
---अभियोगी

बनाम

1– शंकर पिता बदीया मुनिया मीणा उम्र 47 साल,

2– विनोद पिता शंकर मुनीया मीणा उम्र 21 वर्ष,

3– होमजी पिता मोगा खांट गोद पुत्र भीखा खांट मीणा उम्र 50 साल,

4– शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट मीणा उम्र 45 साल,

5– राहुल पिता होमजी खांट मीणा उम्र 20 साल,

6– धनेश्वर पिता मोगा खांट मीणा उम्र 42 साल,

7– ईश्वर पिता खातरा डिन्डोर मीणा उम्र 32 साल,

8– श्रीमति गीता पत्नी शंकर मुनिया मीणा उम्र 45 साल

9– श्रीमति चम्पा पत्नी धनेश्वर खांट मीणा उम्र 41 साल

सर्वनिवासीयान घोटाद पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान।

---अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 148/147, 452/149, 336/149, 323/149, 427/149, 302/149 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः
1.श्री आजाद शाह, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2.श्री मयंक दोसी, विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्तगण की ओर से।

::निर्णय:: दिनांकः 06.04.2023

1. यह प्रकरण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागवाडा के यहॉ अभियुक्तगण शंकर, विनोद, होमजी, शिवा उर्फ शिवराम, राहुल, धनेश्वर, ईश्वर, श्रीमति गीता व श्रीमति चम्पा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 147, 148, 452, 336, 323, 427, 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र दिनांक 06.07.2022 को पेश हुआ, जिस पर यह प्रकरण कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस पर दिनांक 19.07.2022 को इस न्यायालय में पेश होकर दर्ज

रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादीया श्रीमति शारदा ने दिनांक 22.04.2022 को पुलिस थाना सागवाडा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि, मेरे देवर स्व. मोहन की लडकी सुश्री रमीला के उपर हमारे गांव के शंकर के लडके सुनील के मारने का झूठा आरोप लगा कर हमसे शंकर और उसके परिवार के लोग रंजिश रखते है। दिनांक 21.04.2022 को मेरे देवर मोहन खांट के लडकी रमीला की शादी हमारे गांव में हो रही थी। रमीला के शादी कर बारात के जाने के बाद समय करीब 5:45 बजे शाम को तुलसी के घर पर मैं, मेरे पति, रवीया और रिश्तेदार जिसमें धनेश्वर, कुरी, शंकर, पंकज, हाजिया, गजु व अन्य रिश्तेदार थे, कि तभी वहां पर शंकर, होमजी, शिवा, धनेश्वर, चम्पा, ईश्वर, विनोद, राहूल, गीता व अन्य हाथों में लठ्, हथियार, पत्थर लेकर आये और कहा कि हमारा आदमी तुम लोगों ने मार दिया है। तुम लोगों को भी मारेंगे, कह कर हमारे उपर छुटे पत्थर फेंके और हम सभी परिवार वालों के साथ लठ्, पत्थर, हथियार से मारपीट करते हुए हमारे घर में घुस कर तोडफोड कर दी, जिससे हमारे रिश्तेदारों के मोटरसाईकिलों को भी तोड दिया और रमीला के दहेज का सामान भी तोड दिया। और हम सभी रिश्तेदारों के साथ लठ, पत्थर, हथियार से मारपीट चालू कर दी। मारपीट करने से मेरे पति रवीया के सर पर लगी, उसके खुन निकलने लगे, जो वही गिर गये। फिर हमारे चिल्लाने पर गांव के लोगों ने बीच बचाव किया। मेरे पति रवीया, पंकज, हाजिया, गजु के चोटें आई और मेरे पति रवीया को ईलाज के लिये सागवाडा अस्पताल ले गये। वहां से उसे डूंगरपुर और डूंगरपुर से उदयपुर ईलाज के लिये ले गये। जहां पर आज ईलाज के दौरान मेरे पति की मौत हो गई। मुलजिमान ने उनके लडके सुनील के मरने की हमारे से रंजिश रखते हुए हमारे घर में घुस कर हमला कर घायल किया और मेरे पति की हत्या कर दी है। मेरे पति के ईलाज में व्यस्त रहने से आज रिपोर्ट कर रही हूं,इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर द्वारा प्रथम सूचना संख्या 116/2022 अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 336, 452, 302, 323/149 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान उक्त सभी मुलजिमान शंकर, विनोद, होमजी, शिवा उर्फ शिवराम, राहुल, धनेश्वर, ईश्वर, श्रीमति गीता व श्रीमति

चम्पा के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 336, 452, 302, 427, 323 / 149 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र पेश किया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर उक्त सभी अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 148 / 147, 452 / 149, 336 / 149, 323 / 149, 427 / 149, 302 / 149 भादंसं के तहत आरोप अलग से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष समर्थन में मौखिक गवाह के रूप में गवाह पी.ड.01 अजय, पी.ड.2 भोगीलाल, पी.ड.3 श्रीमति शारदा, पी.ड.4 धनेश्वर, पी.ड.5 अर्जून, पी.ड.6 श्रीमति तुलसी, पी.ड.7 श्रीमति गजु, पी.ड.8 शंकर, पी.ड.9 हाजिया, पी.ड.10 सामेश्वर, पी.ड.11 अजयराजसिंह, पी.ड.12 यशपाल, पी.ड.13 डॉ.शैलेन्द्रसिंह, पी.ड.14 सुरेन्द्र कुमार सोलंकी व पी.ड.15 बंशीलाल के बयान लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 फर्द पंचायतनामा लाश, प्रदर्श पी 2 फर्द सुपुर्दगीलाश मृतक रविया, प्रदर्श पी 3 गवाह श्रीमति शारदा के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 4 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी–5 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 6 व 7 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी 8 परिवादीया शारदा का प्रार्थना पत्र बाबत मृतक की लाश मोर्चरी में रखने बाबत, प्रदर्श पी 9 गवाह धनेश्वर के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 10 फर्द तस्दीक घटनास्थल मुलजिमान द्वारा, प्रदर्श पी 11 पुलिस थाना सागवाडा का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी 12 एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी 13 एफएसएल जमा कराने की रसीद, प्रदर्श पी 14 पुलिस थाना सागवाडा का अग्रेषण पत्र बाबत मृतक का प्रीजर्व विसरा जांच हेतु भेजने बाबत, प्रदर्श पी 15 इससे संबंधित एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र, प्रदर्श पी 16 एफएसएल जमा कराने की रसीद, प्रदर्श पी 17 गवाह तुलसी उर्फ तोला के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 18 गवाह श्रीमति गजु के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 19 गवाह शंकर के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 20 गवाह हाजीया के पुलिस बयान, प्रदर्श पी 21 मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराने बाबत पुलिस थाना सागवाडा की तहरीर, प्रदर्श पी 20 से 26 फर्द गिरफ्तारी क्रमशः मुलजिम शंकर, विनोद, होमजी, राहुल, शिवा उर्फ शिवराम, धनेश्वर व ईश्वर, प्रदर्श पी 27 फर्द जब्ती हत्या में प्रयुक्त लठ, प्रदर्श पी 28 फर्द बरामदगीस्थल लठ, प्रदर्श पी 29 व 30 फर्द गिरफ्तारी क्रमशः मुलजिमा

श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा, प्रदर्श पी 31 फर्द तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी 32 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श पी 33 चॉक एफआईआर, पुनः सहवन से प्रदर्श पी 33 मालखाना रजिस्टर व प्रदर्श पी 33ए उसकी प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी–34 से 42 घटना स्थल के फोटोग्राफ्स, प्रदर्श पी–43 से 52 धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना द्वारा क्रमशः मुलजिम होमजी, पुनः होमजी, शंकर, विनोद, शिवा उर्फ शिवराम, राहुल, धनेश्वर, ईश्वर, श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा प्रदर्शित करवाये गये, तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत व स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में मुलजिमान से घटनास्थल की तस्दीक और मुलजिम होमजी से घटना में प्रयुक्त लाठी की बरामदगी संदेह से परे प्रमाणित हुई है। मुलजिमान द्वारा ही आरोपित अपराध कारित किया गया है, जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। अतः मुलजिमान को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर सजा दिलाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में परिवादीया शारदा और महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने घ ाटना की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। नक्शा मौका के गवाहन और अन्य चश्मदीद गवाहन भी पक्षद्रोही घोषित हुई है, उन्होंने भी घटना की ताईद नहीं की है। प्रकरण में नक्शा मौका अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 22.04.22 को ही देख लिया गया था, ऐसी स्थिति में पुनः मुलजिमान की निशादेही से नक्शा मौका दिनांक 26.04.2022 को देखे जाने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि उक्त नक्शा मौका की जानकारी पूर्व से ही अनुसंधानकर्ता को थी और मुलजिम की निशादेही से जो लाठी बरामद करना बताया गया है, वह खुले स्थान से बरामद हुई है और उक्त खुले स्थान का नक्शा मौका भी पूर्व में प्रदर्श पी 5 और प्रदर्श पी 10 अनुसंधानकर्ता द्वारा बनाया जा चुका था और अनुसंधानकर्ता द्वारा उसी स्थान पर पूर्व में दो बार जाया जा चुका था, ऐसी स्थिति में उसी स्थान का पुनः

मुलजिम होमजी के घर के पीछे खुले स्थान सह हत्या में प्रयुक्त लठ् की बरामदगी संदेहप्रद और अविश्वसनीय है। इसके अलावा मालखाना इंचार्ज ने भी यह बताया है कि इस घटना में सभी आर्टिकल दिनांक 22.04.2022 को ही मालखाना में जमा हो गये थे। ऐसी स्थिति में मुलजिम होमजी से पुनः घटना में प्रयुक्त लाठी की दिनांक 26.04.2022 को बरामदगी की जाना संदेहप्रद और अविश्वसनीय है। जब्ती के गवाह पुलिसकर्मी है। स्वतंत्र गवाहन के मौके पर होते हुये भी उन्हें गवाह नहीं बनाया गया है, जिसका कोई कारण पत्रावली पर नहीं है। किसी भी स्वतंत्र और चश्मदीद गवाह और परिवादीया ने उसके साथ बलवा कारित करने, मारपीट करने, आपराधिक गृह अतिचार करने, पत्थर फैंकने, नुकसान कारित करने और मृतक रवीया की हत्या करने की बात नहीं बताई है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद कोई भी गवाह नहीं करता है। संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्प्रद और अविश्वसनीय है। अंततः सभी मुलजिमान को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. बहस उभय पक्षीय पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

9. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :—

1— क्या मुलजिमान शंकर वगैरह ने दिनांक 21.04.2022 को 05:45 पी.एम. पर वाके मौजा हडमतीया फला घोटाद में पांच या पांच से अधिक की संख्या में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने/हमला करने के उद्धेश्य से अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादीया श्रीमति शारदा रवीया वगैरा के साथ घातक हथियार पत्थर, लाठी आदि से बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया?

2— क्या मुलजिान ने अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर आहतगण पंकज, हाजीया, गजु के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयापूर्वक साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की?

3— क्या मुलजिमान ने अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया?

4— क्या मुलजिमान ने अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर

होकर अपराध करने के आशय से लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर आदि फेंक कर परिवादीया श्रीमति शारदा व उसके परिजन के मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया?

5– क्या मुलजिमान ने अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर अपराध करने के आशय से परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला व उसके परिजन को नुकसान पहुंचाने के आशय से उनके घर में घुस कर तोडफोड की और उनकी मोटरसाईकिलों को भी तोड दिया व रमीला के दहेज का सामान भी तोड कर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की?

6– क्या मुलजिमान ने अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर मृतक रवीया की हत्या करने के आशय से उसके साथ लकडी आदि से मारपीट कर सिर चोटें पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप गंभीर चोटें आने से मृतक रवीया की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आपने मृतक रवीया की हत्या कारित की?

7. यदि हां तो उक्त अपराध का परिणाम क्या है?

10. प्रकरण में जहां तक प्रकरण में उक्त सभी मुलजिमान शंकर वगैरह के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 148/147, 452/149, 336/149, 323/149, 427/149, 302/149 भादसं के आरोपों का प्रश्न है, इसके संबंध में उल्लेखनीय है कि परिवादीया श्रीमति शारदा पी.ड.3 के रूप में परीक्षित हुई है जो पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि रमीला मेरे देवर मोहन की लडकी हैं। उसकी शादी करीब आज से 12 माह पहले हुई थी। शादी के समय सभी बाराती घर पर आए हुए थे। शाम को शादी के बाद बारात रवाना हुई। मेरे पति धुणी वाले मंदिर के पास बेहोश पडे हुए थे। हम उन्हे सागवाडा अस्पताल लेकर गए थें। डॉक्टर द्वारा उन्हे रैफर करने पर डूंगरपुर व वहां से उदयपुर ले गए। जहां दौराने ईलाज उनकी अगले दिन मृत्यु हो गई। मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई, मुझे पता नही। मेरे पति के साथ किसने मारपीट की, मुझे नही पता। मेरे साथ किसी ने मारपीट नही की थी।

11. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने पुलिस बयान प्रपी 3 नहीं लिखाना बताया। इस गवाह ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 4 पर स्वयं अंगुठा होना तो बताया है, लेकिन उक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 उसके द्वारा लिखाने से इंकार किया है और उसमें लिखे कथन भी गलत होना

बताया है और उक्त रिपोर्ट खुद के द्वारा बोल कर लिखा कर दर्ज करवाने से भी इंकार किया है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 5, मृतक के कपडो की फर्द प्रदर्श पी 6, खुन आलुदा व सादा मिट्‌टी की फर्द प्रदर्श पी 7 पर अपना अंगुठा होना बताया है और उसके पति की लाश को मोर्चरी में रखवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 8 पर भी स्वयं का अंगुठा होना बताया है। इसने मुलजिमान से रंजिश होने की बात से भी इंकार किया है और यह भी बताया है कि हम एक ही गांव के है और एक ही परिवार के है। इस प्रकार यह गवाह जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में मुलजिमान के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दी है।

12. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि मैं पढीलिखी नही हुं। यह सही हैं कि लिखित रिपोर्ट प्रपी4 मैने टाईप नही कराई हैं, उसमे क्या लिखा हैं, मुझे पता नही। मेरे रिश्तेदार टाईप कराकर लाए थे। यह सही हैं कि प्रपी 5, 6, 7 व 8 पर मेरा अंगुठा पुलिस थाना सागवाडा मे कराया था, उनमे क्या लिखा था, मुझे पता नही। प्रपी 8 मैने टाईप नही करवाया था, उसमे क्या लिखा था, मुझे पता नही। प्रपी8 का ए से बी भाग ''मेरे गांव............विवाद हो सकता हैं'' मैने नही लिखाया हैं। यह सही हैं कि मेरे पति अक्सर बीमार रहते थे। यह सही हैं कि मुल्जिमान के द्वारा हम लोगो पर कोई हमला नही किया गया हैं और न ही उनके द्वारा मुझ पर, मेरे पति, पंकज, हाजिया पर कोई हमला किया गया हैं। यह सही हैं कि पुलिस ने मेरे सामने नक्शा मोका नही देखा था और न ही मेरे पति के कपडे व खुनआलुदा मिट्‌टी मेरे सामने जब्त की थी।

13. इस प्रकार यह गवाह महत्वपूर्ण गवाह परिवादीया और चश्मदीद गवाह है,परन्तु यह अपने पुलिस बयान और तहरीर रिपोर्ट में उल्लेखित कथनों की बिल्कुल भी ताईद नहीं करती है और मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करने की ताईद भी नहीं करती है और जो फर्दे प्रदर्श 5 से 8 नक्शा मौका, खुन आलुदा मिट्‌टी,घटनास्थल आदि के बारे में यह कहती है कि इन सभी फर्दो पर पुलिस थाना सागवाडा में दस्तखत कराये थे, जबकि ये फर्द प्रदर्श पी 6 के अलावा अन्य फर्दे मौका घटनास्थल की है, लेकिन उनकी ताईद यह गवाह बिल्कुल भी नहीं करती है और इस गवाह के बयानों से यह भी प्रकट है कि उसका पति रविया

बीमार रहता था। इस प्रकार यह गवाह मुलजिमान द्वारा आरोपित अपराध किये जाने बाबत किंचितमात्र भी साक्ष्य नहीं देती है, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

14. प्रकरण में गवाह पी.ड.6 श्रीमति तुलसी भी चश्मदीद गवाह है, जो भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि रमीला मेरी लडकी हैं। उसकी शादी दि. 21.04.2022 को हमारे गांव मे हो रही थी। उसकी बारात शादी के बाद वापस घर जाने हेतु रवाना हो रही थी कि घर के पीछे धुणी वाले मन्दिर के पास सभी मेहमान इकट्ठे हुए थे। थोडी देर बाद हमने देखा तो मेरे जेठ रविया वहां बेहोश होकर पडे हुए थे। वे कैसे बेहोश हो गए थे, मुझे नही पता।

15. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने बताया है कि पुलिस ने उससे कोई पुछताछ नही की थी। पुलिस बयान प्रपी 17 लिखाने से इंकार किया है और मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस गवाह ने जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियेाजक में किसी प्रकार की कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं दी है।

16. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि बारात आई उस समय बारातीयो मे आपस मे पथराव हो गया था, जिसमे मैने यह सुना था कि रविया के सिर पर पत्थर लगा था।

17. इस प्रकार यह गवाह बारातीयों में आपस में पथराव होने से मृतक रविया के सिर पर चोटें आना मात्र सुनना बताया है, लेकिन यह पत्थर मुलजिमान ने मारा हो, इस बात की ताईद नहीं करती है ओर न ही मुलजिमान का घटना में शामिल होने की बात कहती है। इस प्रकार यह गवाह भी महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह है, जिसकी लडकी रमीला को लेकर यह घटना हुई थी, परन्तु यह मुलजिमान के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं देती है और अभियोजन पक्ष की कोई मदद नहीं करती है।

18. गवाह पी.ड.7 श्रीमति गजु भी परिवादी पक्ष के परिवार की होकर महत्वपूर्ण चश्मदीद गवा है, लेकिन यह भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दि. 21.04.2022 को हमारे गांव मे रमीला की शादी थी। रमीला मेरी भतीजी लगती हैं। शाम को शादी के बाद उसके बाराती वापस

जाने के लिए धुणी मन्दिर के पास इकट्ठे हुए थे। थोडी देर बाद वहां झगडा हो गया। बाद मे पता चला कि मेरे जेठ रविया वहां नीचे गिरे हुए हैं। उनको हम सागवाडा अस्पताल लेकर गए। जहां से डूंगरपुर व उदयपुर ले गए। जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ किसने मारपीट की, मुझे नही पता।

19. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने बताया है कि पुलिस द्वारा उससे कोई पुछताछ नहीं करना और अपने पुलिस बयान प्रपी18 को लिखाने से इंकार किया है और मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताया है। इस प्रकार यह गवाह अपनी उक्त जिरह में किसी प्रकार की कोई सकारात्मक साक्ष्य मुलजिमान के विरूद्ध नहीं देती है

20. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि बारात आई उस समय बारातीयो मे आपस मे पथराव हो गया था, जिसमे मैने यह सुना था कि रविया के सिर पर पत्थर लगा था।

21. इस प्रकार यह गवाह मृतक रविया के सिर पर पत्थर लगने की बात सुनना बताया है, लेकिन मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित की हो, इस बात की बिल्कुल भी ताईद नहीं करती है, जिससे इस गवाह से अभियोजन पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

22. गवाह पी.ड.8 शंकर भी परिवादी पक्ष का महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह होकर यह भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दि. 21.04.2022 को हमारे गांव मे मेरी चचेरी बहन रमीला की शादी थी। उसकी बारात मेवडा से आई थी। पुरे दिन शादी का कार्यक्रम हुआ एवं शाम को सभी जने दुल्हा दुल्हन को दर्शन कराने धुणी माता मन्दिर गए। फिर बारात को रवाना कर रहे थे। कुछ बारातीयो द्वारा आपस मे मारपीट की गई। थोडी देर बाद हमने देखा कि मेरे बडे दादा रविया वहां बेहोश होकर पडे हुए थे। फिर हम उनको सागवाडा अस्पताल लेकर गए। वहां से उन्हें डूंगरपुर व उदयपुर ले गए थे। जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। मारपीट किसने की, मुझे नही पता।

23. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने बताया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और पुलिस बयान प्रपी 19 लिखाने से भी इंकार किया है और मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस गवाह से भी विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जिरह

करने पर इसने कोई सकारात्मक साक्ष्य मुलजिमान के विरूद्ध नहीं दी है।

24. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि बारात आई उस समय बारातीयो मे आपस मे पथराव हो गया था, जिसमे रविया के सिर पर पत्थर लगा था।

25. इस प्रकार यह गवाह भी अभियोजन कहानी की बिल्कुल भी ताईद नहीं करता है और मुलजिमान द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताता है। केवल पथराव में मृतक रविया के सिर पर पत्थर लगना बताया है, लेकिन यह पत्थर किसने मारा, इस बारे में कुछ नहीं बताया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

26. गवाह पी.ड.9 हाजिया भी परिवादी पक्ष का चश्मदीद गवाह है और पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि आज से करीब 12 महिने पहले की घटना हैं। मेरी भतीजी रमिला की शादी थी। उसकी बारात मेवडा गांव से आई थी। दिन मे शादी हुई एवं शाम को बारात रवाना होने के लिए धुणी मंदिर के पास हम सभी खडे थे। एक तरफ बारात की बस भर रही थी और कुछ बारातियो मे झगडा हो गया था। उस समय शाम करीब 5 बजे थे। थोडी देर बाद पता चला कि रविया घायल होकर बेहोश पडा हुआ था। झगडा करने वाले कौन थे, मुझे पता नही। मेरे भाई को हम सागवाडा अस्पताल लेकर गए थे। वहां से डूंगरपुर व उदयपुर लेकर गए थे। वापस आते समय उनकी मृत्यु हो गई थी।

27. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने बताया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और अपने पुलिस बयान प्र.पी 20 लिखाने से इंकार किया है। इस प्रकार यह गवाह भी विद्वान अपर लोक अभियोजक की जिरह में किसी प्रकार की कोई सकारात्मक साक्ष्य मुलजिमान के विरूद्ध नहीं देता है।

28. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि बारात आई उस समय बारातीयो मे आपस मे पथराव हो गया था, जिसमे रविया के सिर पर पत्थर लगा था।

29. इस प्रकार इस गवाह ने भी बारातीयों में आपस में पथराव होना और रविया के सिर पर पत्थर लगना बताया है, लेकिन यह नहीं बताया है कि पत्थर

किसने मारा और आरोपित अपराध किसने कारित किया। इस प्रकार यह गवाह भी घटना की बिल्कुल भी ताईद नहीं करता है और इस गवाह से भी अभियोजन को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

30. गवाह पी.ड.4 धनेश्वर भी परिवादी पक्ष का होकर महत्वपूर्ण चश्मदीद गवा है, जो भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि करीब एक वर्ष पहले की बात हैं। मेरी चचेरी बहन रमीला की शादी थी। उसकी बारात मेवडा से आई थी। शादी के बाद सभी बाराती धुणी मंदिर के पास बरात रवाना हेतु खडे थे। गाडी के अंदर बारात का सामान भर रहे थे। उसी दिन रवीया मोके पर गिरे हुए थे, जिनको ईलाज हेतु सागवाडा लेकर गए थे। जहां से उन्हे डूंगरपुर एवं आगे उदयपुर लेकर गए थे। ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई, मुझे नही पता।

31. जिरह द्वारा विद्वान अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने बताया है कि पुलिस बयान प्रपी 9 उसने नहीं लिखाया और नक्शा मौका प्रदर्श पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इसी प्रकार प्र पी 6 मृतक रवीया के वक्त घटना पहने खुनआलुदा शर्ट व प्र पी 7 फर्द जब्ती खुनआलुदा व कन्ट्रोल सेम्पल मिट्टी पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार प्र पी 10 फर्द तस्दीक घटनास्थल पर भी ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है। लेकिन इस गवाह ने यह नहीं बताया है कि पुलिस ने इसके सामने रवीया के साथ मारपीट हुई हो, उस स्थान का नक्शा मोका देखा हो एवं इसके सामने रवीया के खुनआलुदा कपडे व घटनास्थल से कन्ट्रोल सेम्पल मिट्टी ली हो और इसके सामने अभियुक्तगण की निशानदेही पर पुलिस ने फर्द तस्दीक घटनास्थल का मोका बनाया हो। इस गवाह ने मुलजिमान द्वारा किसी प्रकार का आरोपित अपराध कारित करने के तथ्य से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस गवाह ने विद्वान अपर लोक अभियोजक की जिरह में मुलजिमान के विरूद्ध किसी प्रकार की सकारात्मक साक्ष्य नहीं दी है।

32. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि प्रपी5, 6, 7, 9 व 10 फर्दो पर पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर पुलिस थाना सागवाडा मे कराए थे, उनमे क्या लिखा है, मुझे पता नही, मुझे पढकर पुलिस ने नही सुनाया था। रवीया को चक्कर आने की बीमारी थी, जो चक्कर आने से

पथरीली जमीन पर गिरने से उसके सिर मे चोट आई थी। यह सही हैं कि मुल्जिमान ने रवीया के साथ कोई मारपीट नही की थी। हम एक ही परिवार के हैं।

33. इस प्रकार यह गवाह पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है और पुलिस बयान नहीं लिखाना बताया है। मुलजिमान द्वारा किसी प्रकार का आरोपित अपराध कारित करना भी नहीं बताया है और जिन फर्दो पर अपने दस्तखत होना बताया है, इन सभी फर्दो पर थाने में दस्तखत कराना बताया है, जिससे मुलजिमान द्वारा घटनास्थल की तस्दीक कराये जाने की बिल्कुल भी ताईद नहीं होती है और न ही अन्य फर्दो की ताईद होती है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

34. गवाह पी.ड.1 अजय व पी.ड.2 भोगीलाल दोनों ही गवाह मृतक रविया की लाश के पंचनामा प्रदर्श पी 1 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 2 पुलिस द्वारा बनाये जाने की औपचारिक साक्ष्य मात्र देते है। उनके बयानों से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है कि मुलजिमान ने किसी प्रकार का आरोपित अपराध कारित किया हो।

35. गवाह पी.ड.5 अर्जून प्रकरण में एफएसएल जांच हेतु कागजात मय एफएसएल आर्टिकल के ले जाने की औपचारिक साक्ष्य देता है और थाना सागवाडा का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 11 होना और उक्त अग्रेषण पत्र के साथ आर्टिकल एस पी कार्यालय में जाकर वहां पर अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 12 तैयार करवा कर दिनांक 29.04.2022 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आर्टिकल जमा करा कर रसीद प्रदर्श पी 13 लाकर मालखाना इंचार्ज सागवाडा को सुपुर्द करना बताता है और इसी प्रकार दिनांक 15.06.2022 को भी मृतक रविया के प्रीजर्व विसरा एफएसएल जांच हेतु थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 14 और एस पी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 15 जारी करवा कर दिनांक 16.06.2022 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा करा कर रसीद प्रदर्श पी 16 मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने की औपचारिक साक्ष्य देता है।

36. इसकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि मालखाना सीलचिट अवस्था में जमा नहीं हुआ हो, बल्कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एफएसएल जमा कराने की जो रसीदे प्रस्तुत हुई है, उनके

अवलोकन से मालखाना सीलचिट अवस्था में ही जमा होना प्रकट होता है।

37. गवाह पी.ड.10 सोमेश्वर रोत ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि मैं दि. 22.04.2022 को पीएस सागवाडा मे पुलिस उप निरिक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरे द्वारा मृतक रविया पिता कानु खांट निवासी घोटाद की लाश का फर्द पंचायतनामा लाश रूबरू पंचान उदयपुर महाराणा भुपाल हॉस्पीटल मे मुर्तिब किया था, जो प्रपी1 हैं जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व ए से बी, सी से डी, जी से एच, आई से जे व के से एल पंचान के हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा मृतक रविया की लाश का पोस्टमार्टम कराने हेतु एमओ साहब भुपाल चिकित्सालय उदयपुर को तहरीर दी थी, जो प्रपी21 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश मृतक के भाई भोगीलाल को सुपुर्द करवाई थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रपी2 हैं, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं, ए से बी व जी से एच मोतबिरान अजय व नानु के व सी से डी भोगीलाल के हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा रूबरू मोतबिरान दि. 22.04.2022 को मृतक रविया का वक्त घटना पहना खुनआलुदा शर्ट वजह सबुत जब्त किया था, जिसकी फर्द प्रपी6 हैं जिस पर ए से बी मोतबिर धनेश्वर व सी से डी मोतबिर लक्ष्मण के हस्ताक्षर हैं व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मृतक की पत्नि शारदा की अंगुष्ठ निशानी हैं व वाय स्थान पर नमुना सील हैं।

38. जिरह में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि यह सही हैं कि प्रपी6 फर्द जब्ती शर्ट मैने मोके पर ही मुर्तिब की जाकर सीलचिट किया था। यह सही हैं कि प्रपी1, 2 व 6 बनाते समय करीब मोके पर 15—20 लोग मोजुद थे।

39. इस प्रकार यह गवाह मृतक रविया की लाश का पोस्टमार्टम करवाने हेतु तहरीर देने और पोस्टमार्टम कराने और मृतक की लाश का पंचनामा और फर्द सुपुर्दगी बनाने और मृतक के खुन आलुदा कपडे जब्त करने की औपचारिक साक्ष्य मात्र देता है। लेकिन इन खुन आलुदा कपडो को जब्त करने की ताईद गवाह धनेश्वर नहीं करता है।

40. गवाह पी.ड.11 अजयराजसिंह ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि मैं दि. 25.04.2022 को पीएस सागवाडा मे कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन आईओ द्वारा हमारे सामने प्र.सं. 116/2022 मे अभियुक्त शंकर पिता बदिया,

विनोद पिता शंकर मीणा, होमजी पिता मोगा खांट, राहुल पिता होमजी खांट, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट, धनेश्वर पिता मोगा खांट निवासी घोटाद, ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर मीणा निवासीयान घोटाद को गिरफ्तार कर फर्द बनाई थी, जो फर्द क्रमशः प्रपी20 से प्रपी26 तक हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। वक्त गिरफ्तारी मेरे साथ कानि यशपालसिंह उपस्थित था। सभी मुल्जिमानो की जामा तलाशी कानि भुपेन्द्रसिंह द्वारा ली गई थी। प्रकरण मे आईओ द्वारा मेरे सामने अभियुक्त के घर पर आला–ए–कत्ल लट्ठ बरामद किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रपी27 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने फर्द आला–ए–कत्ल लट्ठ बरामदगी स्थल का नक्शा मोका बनाया था, जो फर्द प्रपी28 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

41. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही हैं कि प्रपी20 से 26 के द्वारा जिन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था, वे उपरोक्त फर्द बनाने के पहले थाने मे मोजुद थे। यह सही हैं कि प्रपी27 के जरिये जो लट्ठ बरामद किया था, वह लट्ठ खुले स्थान से बरामद किया गया था। यह सही हैं कि प्रपी28 बरामदगी स्थल खुला स्थान हैं, जहां हर कोई व्यक्ति आना जाना कर सकता हैं।

42. इस प्रकार यह गवाह मुलजिमान की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 20 से 26 की औपचारिक साक्ष्य देता है और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य इस गवाह ने यह दी है कि लाठी होमजी से बरामद की गई थी, लेकिन उक्त लाठी जो घटना में प्रयुक्त किया जाना बताया है, वह खुले स्थान से बरामद करना बताया गया है, अर्थात मुलजिम होमजी के घर के अंदर से बरामद नहीं हुई है, बल्कि खुले स्थान से बरामद हुई है, जहां पर कोई भी आ जा सकता है और जिस लाठी को घटना में प्रयुक्त करना बताया है, उसका नक्शा मौका प्रदर्श पी 28 होना बताया गया है और प्रदर्श पी 28 मुलजिम होमजी के मकान के पीछे खुले स्थान का बनाा गया है। इस संबंध में नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 जो प्रथम बार अनुसंधानकर्ता द्वारा नक्शा मौका बनाया गया है, वह नक्शा मौका, नक्शा मौका प्रदर्श पी 28 के समान है और एक ही जगह का है। इसमें भी प्रदर्श पी 5 में ''एफ'' स्थान पर होमजी का मकान है, लेकिन इस नक्शा मौका में वेसात पिता नगजी का मकान होना दिखाया गया है जो, गलत दिखाया गया है। क्योंकि इसमें ''ई'' स्थान पर तुलसी का

मकान दिखाया गया है और उसके ठीक नीचे वेसात का मकान दिखाया गया है, जबकि प्रदर्श पी 28 में ''ई'' स्थान पर तुलसी के मकान के ठीक नीचे मुलजिम होमजी का मकान दिखाया गया है। इसी प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 जो कि मुलजिमान द्वारा घटनास्थल तस्दीक का नक्शा बनाया गया है, वह भी दिनांक 26.04.2022 को बनाया गया है, उसमें भी यही नक्शा मौका है, जो प्रदर्श पी 28 में है। इसमें ''एफ'' स्थान पर मुलजिम होमजी का मकान दर्शाया गया है जो ''ई'' स्थान पर तुलसी के मकान के नीचे है। लेकिन इस नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 में ''एफ'' स्थान पर किसका मकान है, यह नहीं बताया गया है। जबकि वह ''एफ'' स्थान मुलजिम होमजी का है। इसी प्रकार प्रकरण में एक और मौका तस्दीक मुलजिमान श्रीमति चंपा और श्रीमति गीता द्वारा दिनांक 04.06.2022 को भी करवाया गया है, उसमें भी ''एफ'' स्थान पर वेसात पिता नगजी का मकान दिखाया गया है, जबकि इसमें ''ई'' स्थान पर तुलसी का मकान दिखाया गया है, जिसकी ठीक नीचे मुलजिम होमजी का मकान है, लेकिन इसमें भी गलत अंकन किया गया है। इस प्रकार जो प्रथम बार नक्शा मौका दिनांक 23.04.2022 को प्रदर्श पी 5 देखा गया और दूसरा नक्शा मौका जो दिनांक 26.04.2022 को फर्द तस्दीक घटना स्थल का देखा गया है, दूसरा नक्शा मौका में समय सुबह 08:15 ए.एम. होकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 28 वाला ही है और उसी स्थान पर अनुसंधानकर्ता ने मौका मय मुलजिमान के, मय परिवादीया व अन्य गवाहान के बनाया गया है, वह भी वहीं स्थान है। ऐसी स्थिति में मुलजिम होमजी द्वारा प्रदर्श पी 27 के जरिये सुबह 11 बजे लठ दिनांक 26.04.2022 को बरामद किया जाना संदेहप्रद और अविश्वसनीय है और इसलिए भी उक्त लाठी की बरामदगी संदेहप्रद है एवं जो मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 33 पत्रावली पर पेश होकर प्रदर्शित हुई है, उसमें इस प्रकरण में सभी जब्तशुदा आर्टिकल दिनांक 22.04.2022 को ही जमा हो गया है। अर्थात लाठी भी दिनांक 22.04.2022 को मालखाना में जमा हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में जब दिनांक 22.04.2022 को ही लठ् बरामद हो गई और मालखाना में जमा हो चुकी थी तो पुनः उसे मुलजिम होमजी की निशादेही से दिनांक 26.04.2022 को बरामद किया जाना कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार इस गवाह के बयान भी संदेहप्रद और अविश्वसनीय प्रकृति के है।

43. गवाह पी.ड.12 यशपाल ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि मैं दिनांक

25.04.2022 को पुलिस थाना सागवाडा में कानि. के पद पर तैनात था उस दिन अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेंद्र सोलंकी द्वारा हमारे सामने प्रकरण संख्या 116/2022 में अभियुक्त शंकर पिता बदीया, विनोद पिता शंकर, होमजी पिता मोगा खांट, राहुल पिता होमजी खांट, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट, धनेश्वर पिता मोगा खांट, ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर मीणा को गिरफ्तार कर फर्दे बनाई थी जो प्रदर्श पी 20 से 26 है जिन पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। इसी प्रकरण में दिनांक 26.04.2022 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त होमजी खांट की निशादेही पर फर्द बरामदगी आला ए कत्ल लट्ठ बरामद किया था एवं फर्द बनाई थी जो प्रदर्श पी 27 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है व जिस स्थान से आला ए कत्ल लट्ठ बरामद किया था उस स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 04.06.2022 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा मेरे एवं कानि. जुली के सामने अभियुक्ता श्रीमती गीता पत्नी शंकर मुनिया मीणा व श्रीमती चंपा पत्नी धनेश्वर खांट मीणा निवासी घोटाड को गिरफ्तार किया था एवं फर्दे बनाई थी जो प्रदर्श पी 29 व 30 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 04.06.2022 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा हमारे सामने अभियुक्ता श्रीमती गीता एवं चंपा के जैर हिरासत में व उनकी निशादेही पर फर्द तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 31 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

44. जिरह में द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह कहना गलत है कि उपरोक्त सभी मुल्जिमान को पुलिस ने पहले से थाने में डिटेन कर रखा हो। मुल्जिमान को थाने में बुलाकर गिरफ्तार किया था। यह कहना सही है कि बरामदशुदा लट्ठ खुली जगह से बरामद किया था अज खुद कहा कि मकान के पीछे खुली जगह से बरामद किया था। यह कहना सही है कि लटठ बरामदगी की जगह हर व्यक्ति आसानी से आना जाना कर सकता है।

45. इस प्रकार इस गवाह के बयान भी गवाह पी.ड.11 अजयराजसिंह जैसे ही है और इसने भी खुले स्थान से लाठी बरामद होना बताया है, लेकिन यह लाठी दिनांक 22.04.2022 को ही बरामद हो गई थी और मालखाना में जमा हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में दिनांक 26.04.2022 को पुनः लाठी कैसे बरामद हो

सकती है। इसके अलावा जहां से लाठी बरामद हुई, वह स्थान जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले ही देख लिया गया था तो उस स्थान पर पुनः मुलजिम होमजी की निशादेही से उसके घर के पीछे खुले स्थान से लाठी बरामद होना संदेहप्रद और अविश्वसनीय है और इस गवाह द्वारा जो मुलजिमान श्रीमति गीता और श्रीमति चंपा की निशादेही से प्रदर्श पी 31 घटनास्थल तस्दीक बनाया गया है, वह भी संदेहप्रद है। क्योंकि उस स्थान का नक्शा मौका भी पूर्व में प्रदर्श पी 5 मौके पर अनुसंधानकर्ता के द्वारा जाकर बनाया जा चुका था, इसलिए इससे नये तथ्य की खोज होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार इस गवाह के बयान भी संदेहप्रद और अविश्वसीय है, जिससे अभियोजन पक्ष को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

46. गवाह पी.ड.15 बंशीलाल मालखाना इंचार्ज है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि मैं दिनांक 22.04.22 को पी एस सागवाडा में हैडकानि. मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। उस दिन आई ओ द्वारा मुझे थाना हांजा के प्रकरण संख्या 116/22 में मृतक रविया का वक्त घटना पहना खुनआलुदा शर्ट सीलचिट अवस्था में कपडे की थैली में मालखाना में रखने सुपुर्द किया जो मेरे द्वारा मालखाना के रजिस्टर क्रमांक 268 के क्रम संख्या 1 में इन्द्राज किया व आईओ के हस्ताक्षर कराए। इसी के साथ सफेद कपडे की थैली में सीलचिट अवस्था में घटनास्थल पर पडा हुआ मृतक रविया का खुनशुदा फर्श सीमेंट व मिट्टी के कन्ट्रोल सेम्पल सुपुर्द किए जो इसी क्रम संख्या 2 के क्रमांक पर अंकित किए व आईओ के हस्ताक्षर कराए। इसी प्रकार एक कपडे की थैली में मृतक रविया की हत्या में प्रयुक्त लकडी का गोल लठ् जिस पर खुन के धब्बे लगे हुए, जो अभियुक्त होमजी से जब्त हुआ था। मालखाने में रखने सपुर्द किया, जो इसी क्रम के क्रमांक 3 पर अंकित है व प्रकरण में मेडिकल ज्युरिष्ठ में दिए गए सेम्पल तीन बरणियों में सीलचिट अवस्था में प्राप्त किए, जो इसी क्रम के क्रमांक 4 पर अंकित किए। दिनांक 28.04.2022 को कानि.अर्जुनलाल को एफएसएल जांच हेतु आर्टिकल मार्क ए, बी–बी1, सी को जमा कराने दिए, जिसने दिनांक 29.04.22 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करा प्राप्ति रसीद संख्या 8926 दिनांक 29.04.22 की लाकर पेश की। दिनांक 15.06.22 को एमओ साहब द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल कानि.अर्जुनलाल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जमा कराने सुपुर्द किए, जो जमा करा दिनांक 16.06.2022 को रसीद संख्या 487 लाकर सुपुर्द

की और संबंधित आईओ को पेश की। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिसकी नकल प्रदर्श पी 33ए है।

47. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बतया है कि यह सही है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 33 के कम संख्या 268 में वर्णित 1 से 4 का सारा मालखाना आई ओ द्वारा दिनांक 22.04.2022 को ही मालखाने में जमा कराने मुझे सुपुर्द किया था। यह सही है कि मालखाना जमा लेने के मरे पृथक से हस्ताक्षर नहीं है। अजखुद कहा कि प्रदर्श पी 33 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

48. इस प्रकार यह गवाह मालखाना इंचार्ज होकर मालखाना जमा लेने का गवाह है और स्पष्ट रूप से इस बात की ताईद की है कि इस प्रकरण का समस्त मालखाना दिनांक 22.04.2022 को ही इसके पास जमा हो गया था। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 26.04.2022 को मुलजिम होमजी से लाठी पुनः कैसे बरामद क जा सकती है। इस प्रकार इस गवाह के बयान से संपूर्ण अभियोजन कहानी ही संदेहप्रद हो जाती है।

49. गवाह पी.ड.13 डॉ.शैलेन्द्रसिंह जो कि मृतक रविया की लाश का पोस्टमार्टम करने का गवाह है, जिसने मुख्य परीक्षण में मैं दिनांक 22.04.22 को महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में मेडिकल ज्युरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन पी एस सागवाडा के प्रकरण संख्या 116/2022 में मृतक रविया की लाश का पोस्टमार्टम करने हेतु तहरीर दी थी जो प्रदर्श पी 21 है। उक्त तहरीर पर मेरे द्वारा मृतक रविया की लाश का पोस्टमार्टम किया गया था जो प्रदर्श पी 32 है। जिसपर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोमेश्वर एएसआई पीएस सागवाडा उपस्थित थे। पोस्टमार्टम करने का समय 03:40 पी एम दिनांक 22.04.22 है। मृतक महाराणा भूपाल चिकित्सालय के न्युरोसर्जिकल वार्ड में भर्ती था जो ईलाज के दौरान 08:30 ए एम पर दिनांक 22. 04.22 को मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम व पंचनामे के अनुसार रविया की मृत्यु सिर के अंदर लगी चोट से हुई थी। पोस्टमार्टम के दौरान पाया कि रीगरमोर्गिस पूरी बॉडी पर थी। पी एम स्टेनिंग डीपेन्डेनट पार्ट पर थी। दोनों आंखे बंद व मुंह आधा खुला था। मुंह और नाक से खुन निकल रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान मृत के विसरा संरक्षित किये गए थे। पोस्टमार्टम के दौरान पाया कि

चेस्टकैविटी में सभी अंग सामान्य अवस्था में थे। पेट में स्टमक कन्जेस्टेड था। 200 एमएल अधपचा खाना उपस्थित था। लीवर, स्प्लीन, किडनी अंग भी कन्जेस्टेड थे। जननांग सामान्य अवस्था में थे। मृतक के शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान जो चोट पाई उसमें चोट संख्या 1 सिर पर एक टांके लगा हुआ घांव मिडफ्रन्टो पेराईटल जगह पर साथ ही दोनों आखों पर सुजन व सिर में सुजन उपस्थित थी। डिस्सेक्शन करने पर पाया कि अत्यधिक सबस्काल्प हिमेटोमा दोनों तरफ फ्रन्टोपेराईटल टेम्पारो रीजन पर उपस्थित थी। एपीड्युरल हिमेटोमा मिडुफ्रन्टल रीजन पर और सबड्युरल हिमेटोमा दांयी तरफ फ्रन्टोपेराईटल टेम्पोरीजन और बांयी तरफ फ्रन्टोपेराईटल टेम्पोरो रीजन पर उपस्थित था। मस्तिष्क में छोटे छोटे एक से अधिक कन्प्युजन उपस्थित थे एवं सुजन उपस्थित थी। सभी का कलर लाल था। चोट गंभीर व प्राणघातक है। कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2 निलगु तीन गुणा 2 सेमी छाती की बांयी तरफ। सभी चोटों की अवधि मृत्यु से पूर्व 12 से 24 घण्टे पूर्व की थी। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व सिर एवं मस्तिष्क में आई चोटों से कोमा में जाने से होना पाया गया जो सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है।

50. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह सही है कि उक्त दोनों चोटें पत्थर लगने से आने से संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

51. इस प्रकार इस गवाह के अनुसार मृतक के सिर व मस्तिष्क में आयी चोटों से कोमा में जाने से मृतक की मृत्यु होना बताया है और इस संभावना से इंकार नहीं किया है कि मृतक के पत्थर लगने से मृत्यु हो सकती है और प्रकरण में जो स्वतंत्र गवाह पेश होकर परीक्षित हुये है, उन्होंने जिरह में यह बताया है कि मौके पर बारातीयों में आपस में पत्थरबाजी चल रही थी, जिस कारण मृतक रविया के सिर पर पत्थर लगा था। लेकिन वह पत्थर मुलजिमान ने मारा हो, ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आयी है। इसलिए इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मुलजिमान के मारपीट करने की वजह से नहीं, बल्कि अंजान व्यक्तियों के द्वारा पत्थर मारने से उसकी मृत्यु हुई हो।

52. गवाह पी.ड.14 सुरेन्द्र कुमार सोलंकी जो कि इस प्रकरण का अनुसंधानकर्ता है, जिसने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दि. 22.04.2022 को मैं

पीएस सागवाडा मे थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन सवेरे मुझे सूचना मिली कि दि. 21.04.2022 की शाम को घोटाद मे दो पक्षो मे झगडा हुआ था, उसमे एक पक्ष के रविया को घायल होने से उदयपुर भर्ती कराया था, जिसकी दौराने ईलाज एमबी राजकीय अस्पताल उदयपुर मे मृत्यु हो गई। जिस पर मैने कानुन व्यवस्था व मृतक रविया की कार्यवाही के लिए थाने से उपनिरिक्षक सोमेश्वर को उदयपुर रवाना किया था। दि. 22.04.2022 को मृतक रविया की पत्नि श्रीमती शारदा ने अपने भतीजे धनेश्वर खांट के साथ उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जो उनको पढकर सुनाई थी। रिपोर्ट पर प्र. सं. 116 / 22 धारा 147, 148, 149, 336, 452, 323, 302 आईपीसी मे दर्ज कराया था। श्रीमती शारदा द्वारा पेश रिपोर्ट प्रपी4 हैं, जिस पर ए से बी मेरा कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन होकर सी से डी धनेश्वर, ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर शारदा की अंगुष्ठ निशानी हैं। चाक एफआईआर प्रपी33 हैं, जिस पर ए से बी मेरे ई–हस्ताक्षर हैं। प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। अनुसंधान मे कथन प्रार्थीया शारदा व गवाहान धनेश्वर खांट, तुलसी उर्फ तोला, गजु, शंकर, हाजिया के बयान उनके कहे अनुसार लिए गए व हेडकानि बंशी, कानि अर्जुन, के कथन उनके कहे अनुसार लिए गए। अनुसंधान मे घटनास्थल पंहुचकर मोके की मेरे निजी मोबाईल कैमरे से फोटोग्राफी कर प्रिन्ट निकाली गई, जो फोटो प्रपी34 से लगायत 42 तक हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। नक्शा मोका घटनास्थल रूबरू मोतबिरान के मुर्तिब किया, जो प्रपी5 हैं, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाह धनेश्वर और लक्ष्मण के हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर प्रार्थीया शारदा की अंगुष्ठ निशानी हैं व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर मृतक रविया का खुन पडा था, जो खुनआलुदा मिट्टी व कन्ट्रोल मिट्टी जरिये फर्द जब्ती जब्त कर सीलचिट किया था। फर्द जब्ती प्रपी7 हैं, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाह धनेश्वर और लक्ष्मण के हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर प्रार्थीया शारदा की अंगुष्ठ निशानी हैं व वाय स्थान पर नमुना सील है व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। उपनिरिक्षक सामेश्वर द्वारा मृतक रविया के लाश का पंचायतनामा व फर्द सुपुर्दगी लाश व मृतक रविया का जब्त किया खुनआलुदा शर्ट सीलचिट अवस्था मे व फर्द जब्ती खुनआलुदा शर्ट मेरे सामने पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई। मृतक रविया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरिये डाक प्राप्त की, जो प्रपी32 हैं, जिस पर सी से डी

मेरे हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान से अभियुक्तगण शंकर पिता बदिया मुनिया, विनोद पिता शंकर मुनिया, होमजी पिता मोगा खांट, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट, राहुल पिता होमजी खांट, धनेश्वर पिता मोगा खांट, ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर, श्रीमती गीता पत्नि शंकर मुनिया, चम्पा पत्नि धनेश्वर खांट के खिलाफ अपराध धारा 147, 148, 149, 336, 452, 323, 427, 302 भादस का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्त शंकर पिता बदिया मुनिया को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी20 हैं, जिस पर ई से एफ शंकर के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त विनोद पिता शंकर मुनिया को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी21 हैं, जिस पर ई से एफ विनोद के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त होमजी पिता मोगा खांट को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी22 हैं, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर होमजी की अंगुष्ठ निशानी हैं। अभियुक्त राहुल पिता होमजी खांट को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी23 हैं, जिस पर ई से एफ राहुल के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी24 हैं, जिस पर ई से एफ शिवा के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त धनेश्वर पिता मोगा खांट को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी25 हैं, जिस पर ई से एफ धनेश्वर के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी26 हैं, जिस पर ई से एफ ईश्वर के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्ता गीता पत्नि शंकर मुनिया को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी29 हैं, जिस पर ए से बी कानि यशपाल के व सी से डी कानि जुली के व एक्स स्थान पर अभियुक्ता गीता की अंगुष्ठ निशानी हैं व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्ता चम्पा पत्नि धनेश्वर खांट को गिरफ्तार किया जो फर्द गिरफतारी प्रपी30 हैं, जिस पर ए से बी कानि यशपाल के व सी से डी कानि जुली के व एक्स स्थान पर अभियुक्ता चम्पा की अंगुष्ठ निशानी हैं व ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। कानि जुली व यशपाल मेरे अधीनस्थ रहने से मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हुं। दौराने अनुसंधान पुलिस हिरासत मे अभियुक्त होमजी पिता मोगा खांट द्वारा फर्द सूचना दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की दी कि मेरे द्वारा साथी अभियुक्तगणो के साथ मिलकर घटना करने के घटनास्थल को साथ चलकर बता सकता हुं, उक्त सूचना प्रपी43 हैं, जिस पर एक्स स्थान पर अभियुक्त होमजी की

अंगुष्ठ निशानी हैं व ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं एवं अभियुक्त होमजी द्वारा जेर हिरासत मे दफा 27 साक्ष्य अधिनियम मे मुझे स्वैच्छापूर्वक बुलाकर सूचना दी कि दि. 21.04.2022 को शाम करीब 05:45 पीएम पर मेरे गांव के रविया पिता कानु खांट उम्र 55 वर्ष, निवासी घोटाद के सिर मे मेरे द्वारा लट्ठ मारा था एवं मेरे साथीयो द्वारा लात घुंसे व पत्थर से मारपीट की गई थी, जिससे रविया की बाद मे मृत्यु हो गई, वह लट्ठ मैने मारपीट करने के बाद मेरे घर के पीछे छिपा दिया था, जो लट्ठ मे साथ चलकर बरामद करा सकता हुं। फर्द सूचना प्रपी44 हैं, जिसमे एक्स स्थान पर होमजी की अंगुठा निशानी व ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान इसी प्रकार जेर हिरासत अभियुक्तगण शंकर पिता बदिया मुनिया, विनोद पिता शंकर मुनिया, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट, राहुल पिता होमजी खांट, धनेश्वर पिता मोगा खांट, ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर द्वारा दफा 27 साक्ष्य अधिनियम मे मुझे स्वैच्छापूर्वक पास बुलाकर सूचना दी कि दि. 21.04.2022 को शाम करीब 05:45 पीएम पर मेरे गांव के रविया पिता कानु खांट उम्र 55 वर्ष, निवासी घोटाद के सिर मे होमजी पिता मोगा खांट द्वारा लट्ठ मारा था एवं हमारे द्वारा लात घुंसे व पत्थर से मारपीट की गई थी, जिससे रविया की बाद मे मृत्यु हो गई थी व इसके बाद हमने तुलसी उर्फ तोला के घर मे जाकर वहां खडे लोगो के साथ मारपीट की व घर का किवाड और वहां पर रखी गाडिया, डीजे, स्पीकर तोड दिए। हमने जिस जगह पर रविया के साथ व अन्य लोगो के साथ मारपीट की व घर मे तोडफोड की, वह स्थान साथ मे चलकर बता सकते हैं, जिसकी फर्द सूचना प्रपी45 हैं, जिस पर ए से बी शंकर के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्त विनोद की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी46 हैं जिस पर ए से बी विनोद के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्त शिवा उर्फ शिवराम की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी47 हैं जिस पर ए से बी शिवा उर्फ शिवराम के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्त राहुल पिता होमजी खांट की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी48 हैं जिस पर ए से बी राहुल के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्त धनेश्वर पिता मोगा खांट की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी49 हैं जिस पर ए से बी धनेश्वर के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्त ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की

सूचना प्रपी50 हैं जिस पर ए से बी ईश्वर के व सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्ता गीता पत्नि शंकर मुनिया की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी51 हैं जिस पर एक्स स्थान पर गीता की अंगुठा निशानी हैं व ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी तरह की अभियुक्ता चम्पा पत्नि धनेश्वर खांट की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रपी52 हैं जिस पर एक्स स्थान पर चम्पा की अंगुठा निशानी हैं व ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त होमजी की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर आलाए कत्ल लट्ठ रूबरू मोतबिरान के होमजी ने उसके घर के पीछे से लाकर पेश किया, जो जरिये फर्द जब्ती जब्त कर सीलचिट किया, जो फर्द जब्ती प्रपी27 हैं, जिस पर ए से बी व सी से डी क्रमशः मोतबिरान अजयराज व यशपाल के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर होमजी की अंगुठा निशानी हैं। ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं व वाय स्थान पर नमुना सील हैं। होमजी ने दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर जिस स्थान से अलाए कत्ल लट्ठ बरामद कराया व बरामदगी स्थल मुर्तिब किया, जो प्रपी28 हैं, जिसमे जिस पर ए से बी व सी से डी क्रमशः मोतबिरान अजयराज व यशपाल के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर होमजी की अंगुठा निशानी हैं। ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। अभियुक्तगण शंकर, विनोद, होमजी, शिवा उर्फ शिवराम खांट, राहुल खांट, धनेश्वर खांट, ईश्वर डेण्डोर की दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार रूबरू मोतबिरान के तस्दीक घटनास्थल किया जाकर फर्द तस्दीक घटना स्थल मुर्तिब किया, जो प्रपी10 हैं, जिस पर ए से बी अभियुक्त धनेश्वर, सी से डी शंकर, ई से एफ विनोद, जी से एच शिवराम, आई से जे राहुल, के से एल ईश्वर के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर होमजी के अंगुठा निशानी व एम से एन मेरे हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार अभियुक्ता गीता व चम्पा दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार रूबरू मोतबिरान के तस्दीक घटनास्थल किया जाकर फर्द तस्दीक घटना स्थल मुर्तिब किया, जो प्रपी31 हैं, जिसमे ए से बी व सी से डी क्रमशः मोतबिरान कानि यशपाल व जुली के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर अभियुक्ता चम्पा व वाय स्थान पर अभियुक्ता गीता की निशानी हैं। अनुसंधान मे मृतक रविया का खुनआलुदा शर्ट व घटनास्थल से ली खुनआलुदा मिट्टी व कन्ट्रोल मिट्टी व मृतक रविया की हत्या मे प्रयुक्त आलाए कत्ल लट्ठ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे जांच हेतु भेजने के लिए एसपी साहब डूंगरपुर को लिखा पत्र प्रपी11 हैं, जिस

पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। एसपी साहब द्वारा एफएसएल भेजने का अग्रेषण पत्र प्रपी12 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। एफएसएल रसीद प्रपी13 हैं, जो शामिल पत्रावली हैं। मृतक रविया के पोस्टमार्टम दौरान लिए गए विसरा को एफएसएल जांच भेजने हेतु एसपी साहब डूंगरपुर को लिखा पत्र प्रपी14 हैं जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। एसपी साहब का एफएसएल को लिखा अग्रेषण पत्र प्रपी15 हैं, जो शामिल पत्रावली हैं व एफएसएल रसीद प्रपी16 हैं, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण शंकर पिता बदिया मुनिया, विनोद पिता शंकर मुनिया, होमजी पिता मोगा खांट, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट, राहुल पिता होमजी खांट, धनेश्वर पिता मोगा खांट, ईश्वर पिता खातरा डेण्डोर, श्रीमती गीता पत्नि शंकर मुनिया, चम्पा पत्नि धनेश्वर खांट के खिलाफ अपराध धारा 147, 148, 149, 336, 452, 323, 427, 302 भादस का अपराध प्रमाणित माना और चालानी आदेश उपरोक्त 9 अभियुक्तगणो के खिलाफ अपराध धारा 147, 148, 149, 336, 452, 323, 427, 302 भादस मे चालानी आदेश हेतु पत्रावली एसपी कार्यालय डूंगरपुर भेजी। इसी दौरान मेरा स्थानान्तरण सागवाडा से कोतवाली डूंगरपुर होने से मेरी जगह सागवाडा थानाधिकारी शैलेन्द्रसिंह पुलिस निरिक्षक लगे, जिन्होने सक्षम न्यायालय मे अभियुक्तगणो के खिलााफ आरोप पत्र पेश किया। शैलेन्द्रसिंह मेरे साथ काम किए हुए हैं, इसलिए मै उनके हस्ताक्षर पहचानता हुं, जो चार्जशीट पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं। अनुसंधान में मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गये आर्टिकल जिसकी एफएसएल रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है जो प्रदर्श पी 53 होकर शामिल पत्रावली है।

53. जिरह द्वारा विद्वान वकील मुलजिमान में इस गवाह ने बताया है कि यह कहना गलत हैं कि गवाह शारदा, धनेश्वर, शंकर, हाजीया, गजु, तुलसी उर्फ तोला के बयान मैने उनके कहे अनुसार नही लिखकर अपनी मनमर्जी से लिखे हो। यह सही हैं कि घटना के दुसरे दिन अखबार मे उक्त घटना पथराव को लेकर होने की आई हो तो अभी मुझे इसकी जानकारी नही हैं। यह सही हैं कि प्रपी4 रिपोर्ट घटना के दुसरे दिन प्रार्थीया शारदा द्वारा थाने पर पेश की थी। यह सही हैं कि प्रपी4 मे इस बात का अंकन नही हैं कि होमजी ने रविया को लट्ठ मारा हो और जे से एच भाग ''हमारे घर.........वही गिर गए'' सही लिखाया हैं। यह सही हैं

कि मुल्जिमान को डिटेन कर थाने मे लाया था और उनकी गिरफ्तारी थाने मे ही की थी। यह सही हैं कि सभी गिरफ्तारी फर्दो मे गवाहान थाने के थे, कोई स्वतंत्र गवाह नही हैं। यह सही हैं कि जिस स्थान से मैने आलाए कत्ल लट्ठ बरामद किया वह खुला स्थान हैं, यह मैं नही कह सकता हुं कि वहां आसानी से कोई आ जा सकता हो, अजखुद कहा कि लट्ठ बरामदगी स्थल अभियुक्त होमजी के घर के पीछे हैं। यह सही हैं कि जिस जगह से लट्ठ बरामद किया था, वह कोई बन्द क्षैत्र नही हैं, जिसके चारो तरफ बाड या परकोटा हो। यह मुझे नही पता कि मैने जो लट्ठ बरामद किए, वैसे लट्ठ बाजार मे मिलते हो। यह सही हैं कि मैने बरामदशुदा लट्ठ पर अंगुलिया निशानी की जांच नही कराई थी। यह सही हैं कि दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की सभी सूचनाओ मे स्वतंत्र गवाहो का नाम व हस्ताक्षर नही हैं। प्रपी34 से 42 तक के फोटो मैने मेरे निजी मोबाईल से लिए थे, जो मैने निजी प्रिंटर से प्रिंट निकाले थे। फोटो मैने दि. 22.04.2022 को घटनास्थल से लिए थे। प्रपी5 नक्शामोका मैने दि. 23.04.2022 को बनाया था। यह सही हैं कि पत्रावली मे ऐसा कोई फर्द नही हैं, जो यह बताती हो कि मैने घटनास्थल के फोटो दि. 22.04.2022 को ही खींचे हो। मैने अभियुक्तगण को दि. 25.04.2022 व 04.06.2022 को गिरफ्तार किए थे। यह सही हैं कि मैने गीता व चम्पा को दि. 04. 06.2022 को गिरफ्तार किया था और उसी दिन गीता व चम्पा की निशादेही से घटनास्थल की तस्दीक कराई थी। गांव घोटाद से सागवाडा थाना करीब 7–8 किमी दुर हैं।

54. इस प्रकार प्रकरण में इस अनुसंधानकर्ता द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद कोई भी स्वतंत्र चश्मदीद गवाह नहीं करता है और न ही परिवादीया करती है। इस गवाह द्वारा लेखबद्ध किये गये पुलिस बयानों की ताईद भी स्वतंत्र गवाह और परिवादी पक्ष नहीं करता है और घटना की रिपोर्ट भी भी दूसरे दिन दर्ज करवाई गई है। और घटना की रिपोर्ट जो प्रदर्श पी 4 दी गई है,उसमें भी मुलजिम होमजी द्वारा लाठी मारने की बात अंकित नहीं है, जो इस गवाह ने जिरह में भी स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि मुलजिमान को थाने में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्हें पहले से डिटेन कर रखा था और यह भी स्वीकार किया है कि जिस स्थान से आलाए कत्ल लठ् उसने बरामद किया था, वह खुले स्थान से बरामद हुआ था और वह स्थान मुलजिम होमजी के घर के

पीछे है, वह कोई बंद क्षेत्र नहीं है, जहां पर हर कोई आ जा सकता है और बरामदशुदा लाठी पर अंगुलियों के निशान मुलजिम होमजी के रहे हो, इसकी कोई एफएसएल जांच होकर पत्रावली पेश होकर प्रदर्शित नहीं हुई है। केवल मृतक प्रीजर्व विसरा की एफएसएल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 53 पेश होकर प्रदर्शित हुई है, जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु जहर आदि से नहीं हुई है। इसने जो फोटोग्राफ प्रदर्श पी 34 से 42 पेश किये है, वह उसके निजी मोबाईल से खींचना बताया है, लेकिन वह मोबाईल कौनसा मोबाईल था, कब खींचे गये, उसके बारे में धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी पेश नहीं हुआ है और न ही उसकी कोई हार्डकॉपी पेश हुई है, जिससे यह फोटों भी अनुसंधानकर्ता द्वारा लिये जाना संदेहप्रद है। इस गवाह ने मुलजिमान श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक दिनांक 04.06.2022 को करवाई गई है, जबकि इससे पहले ही उस घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 दिनांक 23.04.2022 को ही इसके द्वारा देखा जा चुका था और अन्य मुलजिमान की निशादेही से जो नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 दिनांक 26.04.2022 को देखा गया है, ऐसी स्थिति में पुनः इन महिला मुलजिमान श्रीमति गीता व श्रीमति चंपा द्वारा किस प्रकार से घटनास्थल की तस्दीक करवाई जा सकती है, क्योंकि उक्त स्थान की जानकारी तो पूर्व से ही अनुसंधानकर्ता को थी। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों महिला मुलजिमान से घटनास्थल की तस्दीक कराये जाने से किसी नये तथ्य की खोज होना नहीं माना जा सकता है और न ही उनको घटना से जोडती है। इसी प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 जो दिनांक 26.04.2022 को अन्य सभी मुलजिमान से घटनास्थल की तस्दीक करवाई गई है, वह भी नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 के जरिये दिनांक 23.04.2022 को ही देखा जा चुका था, इसलिए इससे भी किसी नये तथ्य की खोज होना नहीं माना जा सकता है। उक्त नक्शा मौका के आधार पर मुलजिमान का घटना में संलिप्त होना नहीं माना जा सकता है। क्योंकि नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 बनाया है उसमें जो ''एफ'' स्थान वाला मकान दिखाया गया है, वह मुलजिम होमजी का है, जबकि इसने वहां पर वेसात पिता नगजी का मकान होना दिखाया है, जो गलत है। इसके अलावा अन्य नक्शा मौका प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 28 व प्रदर्श पी 31 भी उसी स्थान के नक्शे है। ऐसी स्थिति में जब पहला और दूसरा नक्शा मौका पूर्व में ही इस अनुसंधानकर्ता द्वारा देखा जा चुका था जो खुला स्थान भी था, तो पुनः उसी

स्थान पर होमजी के मकान के पीछे मुलजिम होमजी की निशादेही से लाठी की बरामदगी कैसे हो सकती है, क्योंकि यह स्थान तो पूर्व में अनुसंधानकर्ता द्वारा देखा जा चुका था और फिर प्रकरण के मालखाना इंचार्ज बंशीलाल ने भी यह बताया है कि हस्तगत प्रकरण का समस्त मालखाना जिसमें लाठी भी शामिल थी, वह दिनांक 22.04.2022 को ही जब्त होकर मालखाना में जमा हो गया था। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा पुनः उसी लाठी को दिनांक 26.04.2022 को कैसे बरामद किया जा सकता है। जिससे संपूर्ण अभियोजन कहानी संदेहप्रद हो जाती है। प्रकरण में सभी स्वतंत्र गवाह और परिवादीया पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होंने घटना की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। परिवादी श्रीमति शारदा अनपढ गवाह है, गांव की रहने वाली है और इसने रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 किसने लिखी, कब लिखाई, इस बात की बिल्कुल भी ताईद नहीं की है और अन्य गवाहन भी घटना की ताईद नहीं करते है। ऐसी स्थिति में इस गवाह द्वारा किये गये अनुसंधान की ताईद किसी भी गवाह ने नहीं की है। अन्य फर्दो का गवाह धनेश्वर पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है। मौके पर जो खुन आलुदा मिट्टी, सादा मिट्टी और खुन आलुदा कपडो के जो सेम्पल लिये गये है, उनकी एफएसएल रिपोर्ट पेश होकर प्रदर्शित नहीं हुई है। केवल मात्र मृतक की प्रीजर्व विसरा की एफएसएल रिपोर्ट पेश हुई है, जिसके अनुसार मृतक की मृत्यु जहर आदि से नहीं हुई है। हालांकि डॉ.शैलेन्द्रसिंह द्वारा किये गये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतक के सिर व ब्रेन पर आयी चोट से कोमा में जाने से मृत्यु होना बताया है,लेकिन यह मुलजिमान द्वारा कारित की हो,ऐसी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और ना ही किसी गवाह ने मुलजिमान द्वारा पांच या पांच से अधिक की संख्या में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने/हमला करने के उद्धेश्य से अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादीया श्रीमति शारदा रवीया वगैरा के साथ घातक हथियार पत्थर, लाठी आदि से बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया जाना बताया है और न ही मुलजिमान द्वारा अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर आहतगण पंकज, हाजीया, गजु के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयापूर्वक साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित करने की साक्ष्य दी है और न ही परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किये जाने और लापरवाही व

उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर आदि फेंक कर परिवादीया श्रीमति शारदा व उसके परिजन के मानवजीवन को संकटापन्न कारित करने व परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला व उसके परिजन को नुकसान पहुंचाने के आशय से उनके घर में घुस कर तोडफोड करने की और उनकी मोटरसाईकिलों को भी तोड देने व रमीला के दहेज का सामान भी तोड कर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित किये जाने की साक्ष्य दी है और न ही मृतक रवीया की हत्या करने के आशय से उसके साथ लकडी आदि से मारपीट कर सिर चोटें पहुंचाने के फलस्वरूप गंभीर चोटें आने से मृतक रवीया की मृत्यु होने की ही साक्ष्य दी है। इस प्रकार किसी भी स्वतंत्र गवाह या परिवादीया ने मुलजिमान द्वारा आरोपित अपराध कारित करने की साक्ष्य नहीं दी है। सभी गवाहन के बयानों में भारी एवं महत्वपूर्ण प्रकृति का विरोधाभास है। मुलजिम होमजी से लाठी की बरामदगी और मुलजिमान सभी के धारा 27 की सूचना के आधार पर घटनास्थल की तस्दीक कराई जाना संदेहप्रद और अविश्वसनीय है। आहत गजु, पंकज, हाजीया के चोट आने बाबत कोई साक्ष्य उन्होंने नहीं दी है और ना ही उनके चोट प्रतिवेदन पेश हुये है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष संदेह से परे मुलजिमान के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि मुलजिमान शंकर वगैरह ने दिनांक 21.04.2022 को 05:45 पी.एम. पर वाके मौजा हडमतीया फला घोटाद में पांच या पांच से अधिक की संख्या में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने/हमला करने के उद्धेश्य से अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादीया श्रीमति शारदा रवीया वगैरा के साथ घातक हथियार पत्थर, लाठी आदि से बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया हो और अपने सामान्य उद्धेश्य की पूर्ति में अग्रसर होकर आहतगण पंकज, हाजीया, गजु के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयापूर्वक साधारण प्रकृति की उपहतियां कारित की हो व परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया हो व अपराध करने के आशय से लापरवाही व उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर आदि फेंक कर परिवादीया श्रीमति शारदा व उसके परिजन के मानवजीवन को संकटापन्न कारित किया हो तथा परिवादी पक्ष की श्रीमति तुलसी उर्फ तोला व उसके परिजन को नुकसान पहुंचाने के आशय से उनके घर में घुस कर तोडफोड की और उनकी

मोटरसाईकिलों को भी तोड दिया व रमीला के दहेज का सामान भी तोड कर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की हो तथा मृतक रवीया की हत्या करने के आशय से उसके साथ लकडी आदि से मारपीट कर सिर चोटें पहुंचाई हो, जिसके फलस्वरूप गंभीर चोटें आने से मृतक रवीया की मृत्यु हो गई हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुलजिमान शंकर, विनोद, होमजी, शिवा उर्फ शिवराम, राहुल, धनेश्वर, ईश्वर, श्रीमति गीता व श्रीमति चम्पा के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148/147, 452/149, 336/149, 323/149, 427/149, 302/149 भादंसं का संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से उक्त सभी अभियुक्तगण उक्त आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते है।

:: आदेश ::

55. फलतः अभियुक्तगण शंकर पिता बदीया मुनिया मीणा उम्र 47 साल, विनोद पिता शंकर मुनीया मीणा उम्र 21 वर्ष, होमजी पिता मोगा खांट गोद पुत्र भीखा खांट मीणा उम्र 50 साल, शिवा उर्फ शिवराम पिता मोगा खांट मीणा उम्र 45 साल, राहुल पिता होमजी खांट मीणा उम्र 20 साल, धनेश्वर पिता मोगा खांट मीणा उम्र 42 साल, ईश्वर पिता खातरा डिन्डोर मीणा उम्र 32 साल, श्रीमति गीता पत्नी शंकर मुनिया मीणा उम्र 45 साल, श्रीमति चम्पा पत्नी धनेश्वर खांट मीणा उम्र 41 साल सर्वनिवासीयान घोटाद पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 148/147, 452/149, 336/149, 323/149, 427/149, 302/149 भादंसं के आरोपों से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। मुलजिमान के नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

56. प्रकरण में जब्तशुदा संपूर्ण सामग्री और सैम्पलस बाद गुजरने म्याद अपील नियमानुसार नष्ट किये जाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

57. अभियुक्तगण द्वारा अपील/रिविजन बाबत अंतर्गत धारा 437 (ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक कराये जा चुके है।

58. प्रकरण में स्वयं परिवादीया और आहतगण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है, इसलिए उन्हें पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत कोई प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)

59. निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया गया।

--sd--
(दिनेश कुमार गढवाल)